

फार्म

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०११

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो अशोक कुमार शाक्यभारत वर्तमान धारित पर ऑफिस व्हाइस चाइलड
3. वर्तमान वंत्न 24410+8000 अगली वंत्नवृद्धि को तारीख 11/7/2012

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया * * * खरीद, पट्टा, नंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
ग्राम-नरलासंकी (सहस्रि कुडीर) तहसील-डुंजर जिला-अजमेर	आवास गृह		16.02.85 भाजभग	स्वयं द्वारा आवास भूदान लेकर कृम किया	18 हजार	उक्त सम्पत्ति वर्ष 2007 में बैंक से गृह लेकर एवं स्वयं की वचन से को 10,00,000 में कृय किया

हस्ताक्षर [Signature] 16/8/2011  
 नाम अशोक कुमार शाक्यभारत  
 पर ऑफिस व्हाइस चाइलड

\* जहाँ लागू न हो काट दो/बिप  
 \* \* \* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान मिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।  
 \* \* \* इसमें अल्पकालीन पट्टे, भू सम्पत्ति है।  
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने को अवधि के परचाय यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके भाग अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर किसी भूदान, कृय के नाम पर पट्टे या संपत्ति का संपत्ति का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान मिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

दिनांक: -